निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

प्रकरण सख्या:— 98 / 2023 (प्रार्थनापत्र)
दायर दिनांकः— 04 / 08 / 2023
निर्णय दिनांकः— 26 / 11 / 2025

अनवान

1. भूरालाल पिता रामलाल जाति सुथार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. मूलचन्द पिता रामलाल जाति सुथार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. भैरूलाल पिता रामलाल जाति सुथार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार प्रतिनिधि जरिये तहसीलदार देवगढ़, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद
2. ख्यालीलाल पिता पन्नालाल जाति सुथार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. शांतीलाल पिता पन्नालाल जाति सुथार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. गंगाबाई पत्नी पन्नालाल जाति सुथार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
   - मृतक थानमल के वारिसान
5. कंकूबाई पत्नि थानमल जाति सुथार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. गोपाल पिता थानमल जाति सुथार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. महेश पिता थानमल जाति सुथार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. डिम्पल पिता थानमल जाति सुथार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया प्रार्थीगण की कब्जे शुदा भूमि राजस्व ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ की जमाबन्दी 2063 खाता संख्या 1353 आराजी संख्या 4085 रकवा 2.10 बीघा दर्ज रिकॉर्ड था। कुल रकबा 2.10 बीघा अन्य नम्बरों के साथ स्थित थे एवं आपसी बंटवारा होने से तत्कालीन खातेदार थानमल, ख्यालीलाल, शांतीलाल पिता पन्नालाल, गंगा बेवा पन्नालाल सुथार आराजी संख 4085 मी0 रकबा 1.05 हिस्से में

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला—राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

रही, एवं रामलाल पिता रूपा सुथार 4085/1 रकबा 1.05 आपसी बंटवारें से भूमि दर्ज हुई जिसके नये वर्तमान सेटलमेन्ट के खाता संख्या 1082 आरीज नम्बर 4773 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेयर व खाता संख्या 473 आराजी नम्बर 4772 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेयर है उक्त आराजी नम्बर का आपसी सहमति बंटवारा से रेकार्ड (खाते) में दर्ज हुई एवं उसी अनुसार नक्शे में दर्ज थी। प्रार्थीगण पुराने नक्शे व आकृति के अनुसार मौके पर काबजि हो प्रार्थीगण का कब्जा कास्त होकर लाखों रूपये खर्च कर काबिल कास्त बनाया। इस आराजी नम्बरो को नये सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने बिना किसी आदेश के बिना मौके देखे हमारी कब्जे शुदा भुमि का नक्शे में स्थान परिर्वतन कर नक्शे में गलत तरमीम कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच पूर्व में पूर्वजों के द्वारा आपसी सहमती से बटंवारा जो चुका है। राजस्व ग्राम देवगढ में वर्णित साबिक आराजी नम्बर 4085 कुल किता। कुल रक्या 2 बीघा 10 विस्वा था जो नक्शे मे दर्ज था एवं उक्त भु भाग में प्रार्थीगण काबिज हों उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के नक्शे में सही तरीके से मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार सही दर्ज होकर नक्शे में बटवारे अनुसार सीधी तरमीन थी। उनको वर्तमान सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने दौराने सेटलमेंन्ट बिना किसी न्यायालय के आदेश के एवं बिना किसी क्षेत्राधिकार के मौजुदा राजस्व नक्शे में तरमीम कर नये आराजी नम्बर 4773 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 4772 क्षेत्रफल 0.2700 कुल किता 2 कुल रक्चा 0.5400 हैक्टेयर में भूमि का पूर्व में बटवारा था उसका स्थान परिर्वतन कर उक्त दोनो आराजी नम्बर का आडी दर्ज कर नक्शे का स्थान परिर्वतन कर दिया गया। उक्त भुमि के राजस्व रेकार्ड में सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा किये गये इन्द्राजात प्रारम्भ से कि शुन्य है। जमाबन्दी व नक्शा व मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण खातेदारी भुमि पर लगभग 20 वर्षो से प्रार्थीगण लगातार बिना किसी रोक—टोक के काबिज होकर कास्त कर रहे है और उसने काफी खर्च कर एव दिन—रात मेहनत कर भूमि को काबिल काश्त बनाया है एवं वह राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत सुधार करने का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम देवगढ़ पटवार मण्डल देवगढ़ साबिक आराजी नम्बर 4085/1 रकबा 1 बीघा 05 विस्वा व आराजी नम्बर 4085 रकबा 1 बीघा 05 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 10 विस्वा जो नक्शे में दर्ज था। उसी अनुसार नक्शा बना हुआ दर्ज है। किन्तु वर्तमान सैटलमेंन्ट में मू—बन्दोबस्त कर्मचारी व अधिकारीगण गलती से ग्राम देवगढ़ कि जिसके नये आराजी खसरा नम्बर 4773 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेयर जिसके पुराने नम्बर 4085/1 थे व आराजी नम्बर 4772 जिसके पुराने नम्बर 4085 थे, कुल किता 2 कुल

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

रकबा 0.5400 हैक्टेयर है। सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने बिना किसी आदेश के बिना मौके देखे हमारी कब्जे सुदा जमीन पर, नक्शे में तरमीम कर दिया गया व राजस्व रेकार्ड नक्शे में भी स्थान परिर्वतन कर दिया गया है। उक्त आपसी सहमती बंटवारे में अन्य आराजी नम्बरो के नक्शे तो सही दर्ज हो गये उनमें हमें कोई आपत्ती नहीं है। वर्तमान आराजी नम्बर 4772 का जो नक्शा बना है, उसमें आधा भाग व आराजी नम्बर 4773 का जो नक्शा बना है, उसमें से भी आधा भाग मौके पर है, उसी अनुसार नक्शा बनना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। सेटलमेन्ट कि गलती से रेकार्ड में मिस्टेक हुई है जिसे सुधारने हेतु यह प्रार्थाना पत्र अर्न्तगत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवैन्यु एक्ट पेश किया जा रहा है। भूमि पर लोन वगैरहा लेने से पटवार मण्डल ने भूमि कि नकले निकलवाई तब हमे पता चाला कि उक्त भूमि के नक्शे में व राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज का पता चला। भूमि पर लोन वगैरहा लेने से पटवार मण्डल ने भूमि कि नकले निकलवाई तब हमे पता चाला कि उक्त भूमि के नक्शे में व राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज का पता चला। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.06.2023 को नकले प्राप्त करने पर पता चला न्यायालय में अब प्रकरण पेश किया जा रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि ग्राम देवगढ पटवार मण्डल देवगढ जो गत जमाबन्दी सम्वत् 2063 के खाता संख्या 1353 में आराजी नम्बर 4085 रकबा 2.10 बीघा था सम्वत् 2070 से 2073 में दर्ज आराजी नम्बर 4085ध1 रकबा 1.05 बीघा व आराजी नम्बर 4085 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा दर्ज थी। कुल किता 2 कुल रक्बा 2.10 बीघा था। जिसके नये आराजी नम्बर 4773 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 4772 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेयर है। इनके वर्तमान नक्शे में संशोधन कर प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पूर्वज द्वारा पूर्व में बटावारा हो चुका है। उसी अनुसार भुमि का नक्शा तरमीम किया गया पुराने नक्शे के अनुसार आकृती व स्थान बना उसी अनुसार नये नक्शे में संशोधन करने का आदेश प्रदान कराया जाकर नक्शे में पुनः तरमीम कर अंकन करने की कृपा करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार देवगढ़ द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब मय मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि राजस्व ग्राम देवगढ़ के वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 1082 आराजी संख्या 4773 रकबा 0.27 हैक्टेयर खातेदार भैरूलाल, भूरालाल, मूलचन्द पुत्र रामलाल सुथार एवं खाता संख्या 473 आराजी संख्या 4772 रकबा 0.27 हैक्टेयर ख्यालीलाल, थानमल, शान्तिलाल पुत्र पनालाल,

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

गंगाबाई पत्नी पनालाल सुथार सा देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम देवगढ़ के वक्त तरमीमी सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पुराने आराजी संख्या 4085 रकबा 1.05 बीघा के नवीन आराजी संख्या 4772 रकबा 0.27 हैक्टेयर एवं पुराने आराजी संख्या 4085/1 रकबा 1.05 बीघा के नवीन आराजी संख्या 4773 रकबा 0.27 हैक्टेयर कायम किया गया। वक्त तरमीमी सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त खातेदारान के पुराने नक्शे से भिन्न नवीन नक्श बना दिया गया जबकि खातेदार पूर्व नक्शे अनुसार काबिज है। वादी एवं प्रतिवादी वर्तमान मे पूर्व राजस्व नक्शे एवं बंटवाडा अनुसार आराजी संख्या 4085 रकबा 1.05 बीघा एवं आराजी संख्या 4085/1 रकबा 1.05 बीघा पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 02 से 08 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 की खातेदारी भूमि ग्राम देवगढ़ पटवार मण्डल देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के जमाबन्दी संवत् 2063 खाता संख्या 1353 आराजी संख्या 4085 रकबा 02.10 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसके आपसी बंटवारा से 4085 मी रकबा 1.05 बीघा, 4085/1 रकबा 1.05 बीघा भूमि दर्ज हुई जिसके नवीन आराजी संख्या 4773 रकबा 0.2700 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 4772 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5400 हैक्टेयर है। उक्त आराजीयात का पूर्व में बंटवारा हुआ था उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 काबिज है सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी आदेश एवं बिना मौके देखे उक्त आराजीयात का के नक्शे में स्थान परिवर्तन कर नक्शे में गलत तरमीम कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 पुराने राजस्व रिकॉर्ड एवं पूर्व नक्शे अनुसार भूमि पर काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना न्यायहित में है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार है:—

90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, देवगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित जमाबंदी संवत् 2070—2073 के आराजी संख्या 4085 मी0 रकबा 1.05 बीघा एवं आराजी संख्या 4085 / 1 रकबा 1.05 बीघा के नवीन आराजी संख्या 4473 रकबा 0.2700 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 4772 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि की सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे अनुसार दर्ज भूमि की जरिये इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में शुद्धि करते हुए प्रस्तावित नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही की जावें। यह भी देखा जावे कि राजकीय भूमि इस तरमीम की कार्यवाही से प्रभावित नहीं हो। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 26 / 11 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार, R.A.S.)
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़ जिला राजसमन्द